उत्तराखण्ड

लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड शासन

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग

वनभूमि

हस्तान्तरण पत्रावली

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

ग्रामः– गवनी गांव

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रः– भटवाड़ी सुनार,

तहसीलः– ऊखीमठ

जनपद :– रूद्रप्रयाग

क्षेत्रफलः– 0.060 है0

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण–पत्र।	7	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1, 2 तथा भाग–3	8-13	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-16	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	18	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	22	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक रामरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	20-21	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	23-24	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	25	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	26-27	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	28	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	29	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	30	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	31-32	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यॉकन/साराश।	33	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	34-35	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	36		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	37	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यनूतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	38	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र।	39-40		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	41		
25	राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।		संलग्न है	
27	लागत लाभ विशलेषण।(5 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे0 से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र		संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	48-51	संलग्न है	
32	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का	50	संलग्न है	

	प्रमाणपत्र।			
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	52	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	53-54	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	55	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	56	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	57	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	58	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	59	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	–	संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित परियोजना 1 हे० से कम है।
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	–	—"—	—"—
42	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	–	—"—	—"—
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	–	—"—	—"—
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	–	—"—	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण–पत्र।	60-1	संलग्न है।	खसरा संलग्न कर दिया गया है।
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	–	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है।
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।		संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	61	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	62	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	63	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	–	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	64	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	–	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	–	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	–	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

1- **परियोजना का नामः**— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	0.060
वन पंचायत भूमि	शून्य
नाप भूमि	0.014
योग	**0.074 है0**

3-प्रस्तावक विभाग का नाम – **निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ**

4-वन प्रभाग का नाम – **रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग**

5-प्रस्ताव बांइडिग किया गया है - हाँ/नही

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हाँ/नही

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ/नही

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ/नही

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ/नही

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नही

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नही

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करनें का प्रयास किया गया है- हाँ/ नही

13 - संमरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रुप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - हाँ/नही

14 – क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। - हाँ/नही

15 – क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण – पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। - हाँ/नही

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। - हाँ/नही

17 – प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। - हाँ/नही

18 – क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। - हाँ/नही

19 – प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीड़ोर का हिस्सा है। - हाँ/नही

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संळग्न है। - हाँ/नही

20 – क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। - हाँ/नही

21 – प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। - हाँ/नही
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

22 – क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रगों से भरा गया है। - हाँ/नही

23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - (5 पृष्ठ संख्या) हाँ/नही

24 – क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नही

25 – यदि उल्लघंन हुआ है तो पूरण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एंव उनके विरुध्द की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26 – सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायों / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये है। - हाँ/नही

27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रुप में प्रस्तुत है
(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हाँ/नही

29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है हाँ/नही

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हाँ/नही

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ/नही

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है हाँ/नही

32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है
यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है- हाँ/नही

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नही

34-वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- हाँ/नही

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- हाँ/नही

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नही

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एंव चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाऐं संलग्न कर दी गई है

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Autohrity Letter

Er. ***Andeep Rana,*** Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of ***Construction Division, P.W.D. Ukhimath*** (Agency name) on the Goverment of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)

(Manoj Das)
Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

प्रपत्र–2

परिशिष्ट

(देखिए नियम –6)

फार्म– 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–I

(प्रयोक्ता एजंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:–	जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप।	:–	संलग्न
(iii)	परियोजना लागत।	:–	रू0 235.76 लाख
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।		प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या 22) के अनुसार
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)।	:–	लागू नही है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	:–	28525 मानव दिवस
2-	कुल अपेक्षित भूमि का उदेश्यवार विवरण।	:–	प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या) के अनुसार
3-	परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है।	:–	लोगों का विस्थापन नही हो रहा है।
	(i) परिवरों की संख्या।	:–	शून्य
	(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।		शून्य
	(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)।		
4-	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	:–	नही
5-	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाए)	:–	संलग्न
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा।	:–	विषय सूची के अनुसार संलग्न है

(इ० मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

तिथि 06/10/2018

स्थान ऊखीमठ

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र–3

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	:– जनपद–रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र।	:– उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	:– रुद्रप्रयाग
(iii)	वन प्रभाग	:– रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे.में)	:– 0.060 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	:– राज्य वनभूमि
(Vi)	हरियाली का घनत्व	:–
(Vii)	प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम)और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. –4 मीटर भी संलग्न किए जाए)।	:– सूची संलग्न है।
(vii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:– भूक्षरण की सम्भावना नही है।
(viii)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	:–
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	:– नही
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ठ प्रजातियां पाइ जाती है। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	:– नही
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्ततीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:– नही
8-	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:– प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गइ कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा	:– मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नही किया है अतः कोई उल्लंगन नही हुआ है।

दे क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :- संलग्न

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक :- संलग्न

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। :- संलग्न

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। :- संलग्न

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। :-

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) :- संलग्न

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें) :- संलग्न

12. प्रभाग /जिला प्रोफाइल :- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग/रुद्रप्रयाग

(i) जिले का वन क्षेत्र :- 1790.995 वर्ग Km.

(ii) मामलों की संख्या सहित1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- 606.979 hac. 163 Case

(iii) 1980 से जिला /प्रभाग मे निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण :- 1158.614 hac

(क) दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- X

(ख) वनेत्तर भूमिपर :-

(अ) 2019 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-

(क) वन भूमि पर :- 1158.614 hac.

(ख) वनेत्तर भूमि पर :-

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। :- परियोजना विकास कार्यों से सम्बन्धित है सिफारिस की जाती है।

(मंयक शेखर झा)
उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

दिनांक :-
स्थान:-

भाग III
(संम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन सरंक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रुप में संलग्न करें। :–

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। :–

16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन सरंक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। :–

हस्ताक्षर

दिनांकः–
स्थानः–

नामः–
सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। :–

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।) :–

हस्ताक्षर

दिनांकः–
स्थानः–

नामः–
सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश। :—

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय) :—

हस्ताक्षर

दिनांकः—
स्थानः—

नामः—
सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीच का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-5

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विशालध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

संख्या– 21 /III(2)/17–35(प्रा0आ0)/2010

प्रेषक,

ए0एस0 पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषयः– **जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बस्टी मोटर मार्ग को एन0एच0 109 (107) से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत सेतु कार्य की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 100 मी0 तथा टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 1438.92 लाख {₹ 1203.16 + ₹ 235.76 (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य)} की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 मे व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्तानुसार कुल स्वीकृत लागत ₹ 1438.92 लाख के सापेक्ष ₹ 235.76 लाख की धनराशि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु स्वीकृत की गई है।

(ii) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vi) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।।

(ix) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(x) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(xi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xii) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संo–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संo–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संo–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 के द्वारा आपको आबंटित कोड सo–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सo–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत –800 अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 984/XXVII/(2)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

संख्या– 21 /II(2)/17–35(प्र0अ0)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोनिवि, पौड़ी।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

(67)

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु स्थान गवनीगाँव के ज०वि०र० ख०खा०सं० 429 रकबा 1.413 है० मध्ये 0.060 है० सिविल एंव सोयम वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनाँक 04-06-2018 को प्रश्नगत परियोजना हेतु राज्य भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री आर० एस० रावत वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनी रेंज एंव राजस्व विभाग की ओर से श्री अमित सिंह रुण्डीर (रा0उ0नि0 भटवाड़ी-सुनार) एंव लो0नि0वि0 की ओर से श्री अरुण प्रकाश मन्दुडी (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री दिनेश चन्द्र सेमवाल(अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार राज्य भूमि 0.060 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लो0नि0वि0 द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत परियोजना का निर्माण जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से हाट-बष्टी मोटर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 107 से जुड़ जायेगा।

आवेदित राज्य भूमि वृक्ष विहीन है।

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

R.O.
वन क्षेत्राधिकारी
वन विभाग अगस्त्यमुनि रेंज
वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–5

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Construction Division P.W.D. Ukhimath** (for diversion under FCA-1980) of **0.06 ha.** of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Construction of Motor bridge in Haat-Basti Motor Road.** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **20-02-2019.**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF / PF / un-classed/Other forests measuring **0.06 ha. (0.06 ha. Revenue Forest Land)**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **No**

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **No**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes**

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. **No**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommend in the Public Interest.

(Signature)

Place:- **Rudraprayag**

Name - (Mayank Shekhar Jha)
Designation - D.C.F
उप वन संरक्षक
Office रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Date :- **20-02-2019**

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

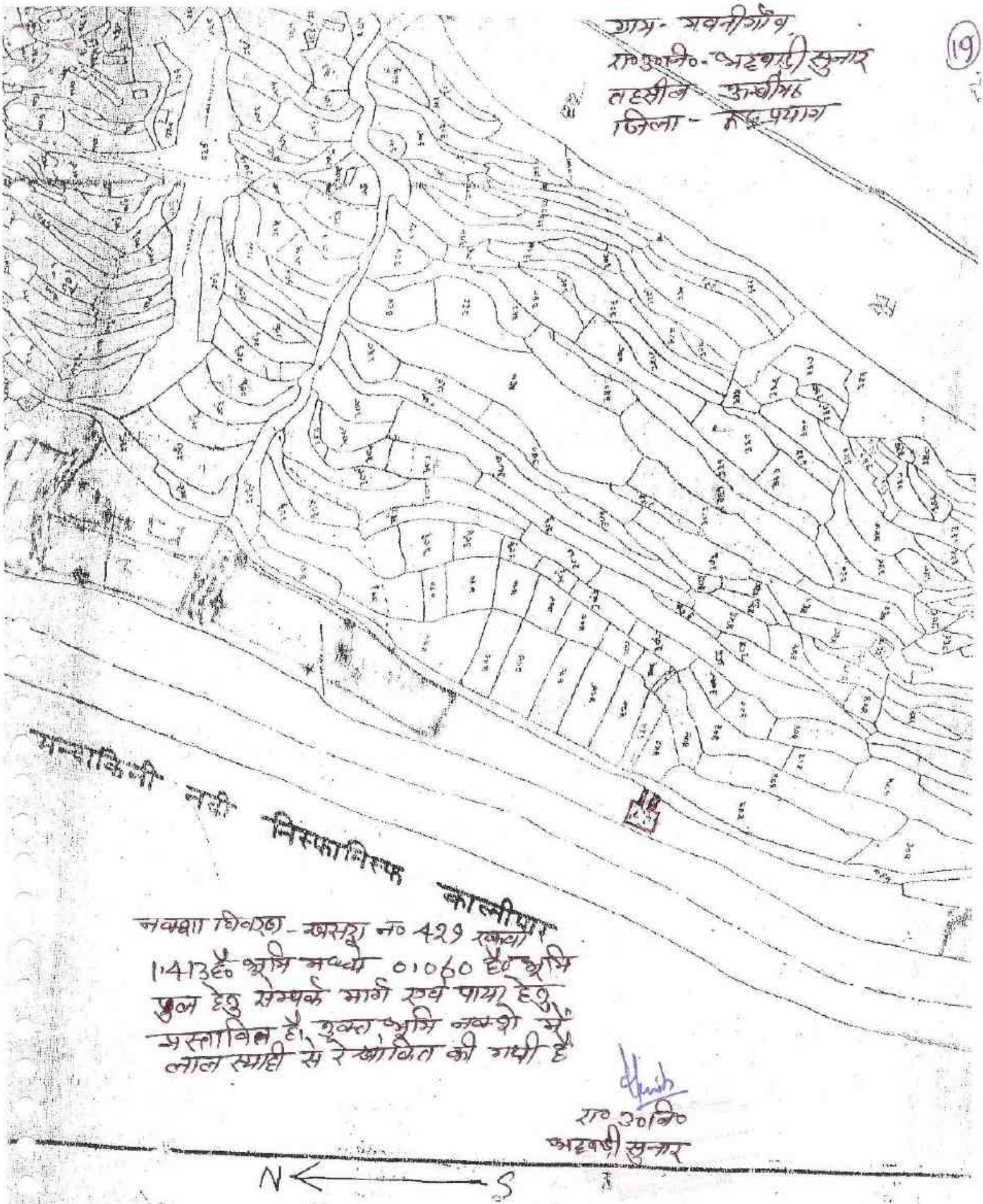

(19)

ग्राम- मवनीगॉव,
रा०उ०नि०- अद्दवडी सुनार
तहसील- ऊखीमठ
जिला- रुद्रप्रयाग

नक्शा विवरण- खसरा नं० 429 रकबा 1.413है० भूमि मध्ये 0.060 है० भूमि पुल हेतु सम्पर्क मार्ग एवं पाया हेतु प्रस्तावित है, उक्त भूमि नक्शे में लाल स्याही से रेखांकित की गयी है

रा० उ०नि०
अद्दवडी सुनार

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ

जिलाधिकारी
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जियो रेफेरेंस मैप :– जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, हाट–बस्टी मोटर पुल के नव निर्माण हेतु

0 12.5 25 50 M

Scale- 1:1,200

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 3' 44.477" E	30° 24' 57.378" N
2	79° 3' 43.843" E	30° 24' 57.664" N
3	79° 3' 43.968" E	30° 24' 57.828" N
4	79° 3' 43.545" E	30° 24' 58.056" N
5	79° 3' 43.402" E	30° 24' 57.870" N
6	79° 3' 43.276" E	30° 24' 57.708" N
7	79° 3' 43.151" E	30° 24' 57.547" N
8	79° 3' 43.556" E	30° 24' 57.300" N
9	79° 3' 43.717" E	30° 24' 57.502" N
10	79° 3' 44.339" E	30° 24' 57.194" N
11	79° 3' 39.978" E	30° 24' 59.354" N
12	79° 3' 39.896" E	30° 24' 59.171" N

Legend

- GPS Points
- Proposed Land For Abutment
- Approach Road
- Bridge On River
- Existing Road

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

रा०उ०नि०

तहसीलदार
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

डिजिटल मैप –जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित. हाट–बस्ती मोटर पुल के नव निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/03

Legend

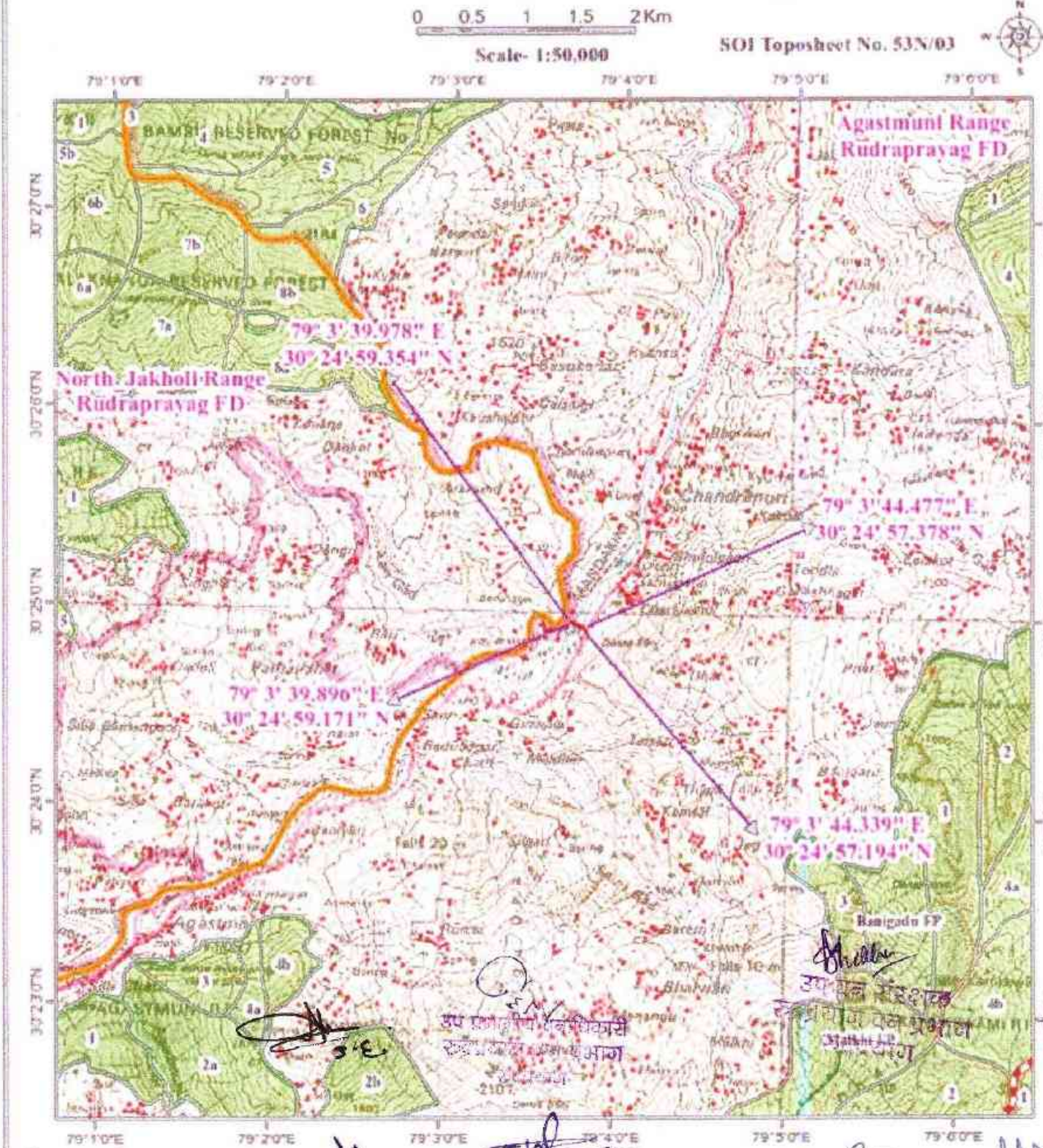

- Proposed Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

रा०उ०नि०

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तहसीलदार
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

वनभूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नाम :– **जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत हाट बष्टी मोटर मार्ग को एन0 एच0 107 से जोडने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।**

जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील ऊखीमठ के अर्न्तगत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 107 (पूर्व मे 109) (रुद्रप्रयाग–गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग) के कि॰मी॰ 23.00 में मन्दाकिनी नदी के बांयी तरफ गवनी गांव स्थित है। गवनी गांव में मन्दाकिनी नदी के दांयी तरफ से हाट–बष्टी मोटर मार्ग (लम्बाई 18.00 कि॰मी॰) प्रारम्भ होकर विभिन्न ग्रामों जैसे हाट, बष्टी आदि को जोड़ता है। इस स्थान पर लो0नि0वि0 द्वारा मन्दाकिनी नदी पर मानसून के उपरान्त अस्थाई पैदल सेतु लगाया जाता है जिसे मानसून से पूर्व हटा दिया जाता है। उक्त मोटर मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य कोई स्थाई संयोजकता न होने के कारण इन ग्रामों की जनता को ब्लाक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय पहुंचने के लिये औसतन लगभग 15 कि॰मी॰ का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। उक्त स्थान पर सेतु के बनने से हाट–बष्टी मोटर मार्ग, रुद्रप्रयाग – गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने पर वैकल्पिक मोटर मार्ग के रुप में प्रयोग में लाया जा सकेगा जो कि चारधाम यात्राकाल में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग केदारनाथ धाम का मुख्य मोटर मार्ग है साथ ही उक्त सेतु के बनने से ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को भी संयोजकता प्रदान होगी।

अतः कार्य की महत्ता को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थान पर 100 मी0 मोटर सेतु के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके उपरान्त सेतु के निर्माण के लिये स्थल पर विस्तृत सर्वेक्षण किया गया एवं पाया गया कि सेतु के लिये बांयी तरफ वनभूमि का उपयोग किया जाना निश्चित है क्योंकि इस तरफ अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है तदुपरान्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया। वनभूमि का चयन करते हुये इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि सेतु के निर्माण से वन सम्पदा को कम से कम क्षति हो। इस प्रकार चयनित वनभूमि मात्र 0.06 हैक्टेयर है एवं वृक्षविहीन है अर्थात इस परियोजना के निर्माण में एक भी वृक्ष का पातन नहीं होना है।

अतः इस परियोजना के लिये उपरोक्तानुसार 0.06 हैक्टेयर वनभूमि की मांग औचित्यपूर्ण है।

कनिष्ठ अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

सहायक अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	पुल के पाये की लम्बाई, चौड़ाई	अन्य कारण
संरेखण—1	0.060	शून्य	50X12	-
संरेखण—2	—	—	—	—

उक्त दोनों समरेखणों मे से समरेखण नं० 1 (एक) उपयुक्त है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु स्थान गवनीगाँव के ज०वि०ख० खसरा संख्या 429 रकबा 1.413 है० म० 0.060 है० सिविल एंव सोयम भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित सिविल एंव सोयम वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.060 है० सिविल एंव सोयम भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

अधीक्षण
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी

उपक्षेत्रीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रादेशिक वनाधिकारी कार्यालय
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

लैन्ड़ शैड़्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है०)
←			शून्य			→

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व/उप निरीक्षक

तहसीलदार
ऊखीमठ

उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

लैन्ड शेड्यूल

परियोजना का नाम :– जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत हाट बष्टी मोटर मार्ग को एन0 एच0 107 से जोडने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी –सिविल एवं सोयम भूमि (10(4) में दर्ज)

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
रुद्रप्रयाग	उखीमठ	अगस्त्यमुनी	429	1.413	18.00	12.00	0.0216
					20.00	12.00	0.0240
					20.00	7.20	0.0144
						योग वन भूमि	0.0600

अमीन
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

कनिष्ठ अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

सहायक अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

राजस्व उपनिरीक्षक
ऊखीमठ

तहसीलदार
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनी

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण

रियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत हाट बष्टी मोटर मार्ग को एन0 एच0 107 से जोडने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी॰)	चौड़ाई (मी॰)	कुल क्षेत्रफल (है0)
1	आरक्षित वन भूमि	0.00	0.00	0.00
2	सिविल सोयम भूमि			
	बांया एवटमेन्ट एव सुरक्षात्मक कार्य हेतु	18.00	12.00	0.0216
	पहुंच मार्ग हेतु	20.00	12.00	0.0240
	सेतु हेतु	20.00	7.20	0.0144
3	वन पचायत भूमि	0.00	0.00	0.00
4	वन भूमि का योग			**0.060**
5	नाप भूमि	12.00	12.00	0.0144
	कुल योग–			**0.0744**

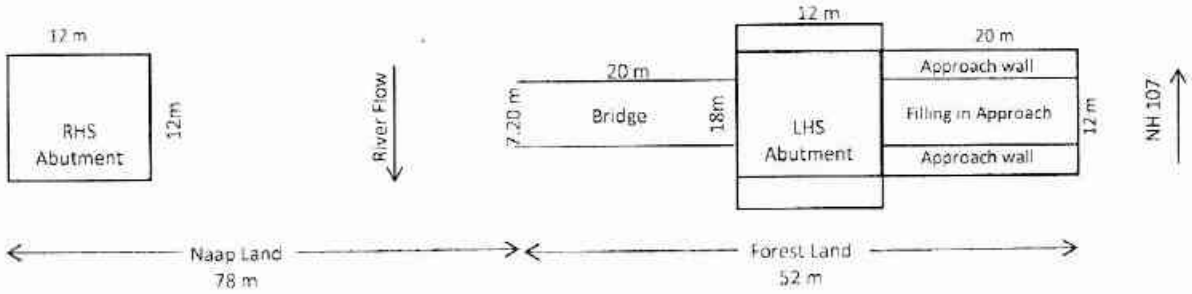

कनिष्ठ अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

सहायक अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

प्रपत्र-17

परियोजना का नामः— जनपद–रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

बारचार्ट का प्रारुप

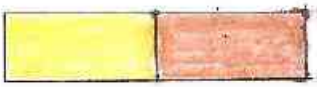

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है0 में)
आरक्षित वनभूमि	—	शून्य
राज्य भूमि		0.060
पंचायती वनभूमि	—	शून्य
नाप भूमि		0.014

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निरमाण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनाँक 04–06–2018 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार सिविल एंव सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।:–

पंचायती वन भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ो का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	←					शून्य						→	

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

वनक्षेत्राधिकारी,
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-19.1

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनाँक 04–06–2018 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।:—

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ो का विवरण

क्र.स.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	←					शून्य	—					→	

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र – 20.1

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने वाले वृक्षों का साराशं

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	←					शून्य							→

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र – 21

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विधमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण में किसी भी प्रजाति के वृक्षों का पातन नही किया जाना है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

क्र०स०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	←					शून्य							→

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-22

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियेजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दोरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षो की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र.सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	←					शून्य	—					→	

वन संरक्षक

(37)

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु स्थान गवनीगाँव के ज०वि०रा० खसरा संख्या 429 रकबा 1.413 है० म० 0.060 है० सिविल एंव सोयम भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना मे वृक्ष प्रभावित न होने की दशा मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अमरत्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 हैं0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य है व भारत सरकार से परियोजन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
वनक्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि	उपप्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-25

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राष्टीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण से दूरी व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि क्षेत्र की समीपस्थ राष्टीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी 10.250 कि०मी० है।

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्टीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्टीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नही है।

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम:– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No…..

Dated 19/12/18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.060** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction of 100 m span Motor Bridge over Mandakini River at chandrapuri Gabnigaon to connect Haat Basti Motor Road to NH - 107** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Gabnigaon** villages in ***Ukhimath*** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.060** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

District Magistrate
Rudraprayag

प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Mangesh Ghildiyal** District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 19/12/2018... at time 12:30... in **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring **0.060 hectare** for the **Construction of 100 m span Motor Bridge over Mandakini River at chandrapuri Gabnigaon to connect Haat Basti Motor Road to NH - 107** in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ukhimath Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.

District Magistrate Cum-Chairman
Disrict Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

District Magistrate
Rudraprayag

प्रारूप 30.2

परियोजना का नामः— जनपद—रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील—ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट—बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०—107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

अनुसुचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति रूद्रप्रयाग

उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद—रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील—ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट—बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०—107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है०** राज्य भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील—ऊखीमठ) की दिनाँक...18\12\2019....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री...अनिल सिंह रावत.............उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1- श्री अनिल सिंह रावत......उपजिलाधिकारी ऊखीमठ......................................अध्यक्ष
2- श्री अमित सिंह कंवर.......उपप्रभागीय वनधिकारी......................रूद्रप्रयाग......................सदस्य
3- श्री....................सहायक समाज कल्याण अधिकारी.......................अगस्त्यमुनि....सदस्य/सचिव
4- श्री श्रीमती प्रमिला देवी ....क्षे०पं० / वार्ड सदस्य/ प्रमिला देवी ....कण्डारा.......सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद—रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील—ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट—बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०—107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है०** राज्य भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही हैं। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी हैं।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी .....रूद्रप्रयाग..........द्वारा अनुसुचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम / नगर पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद—रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील—ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट—बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०—107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है०** राज्य भूमि का लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रमिला देवी क्षे०पं० / वार्ड सदस्य (प्रमिला भण्डारी) सदस्य क्षेत्र पंचायत-कण्डारा वि० अगस्त्यमुनि, जनपद रूद्रप्रयाग	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड अगस्त्यमुनि	उपप्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग	उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील – ऊखीमठ, जनपद – रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – ऊखीमठ, जनपद – रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नामः– **जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - अखोली गाँव

तहसील - ऊखीमठ, जिला – रूद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० राज्य वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20 / 11 /2018 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदित राज्य भूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित राज्य भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य हैं अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राज्य भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित राज्य भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अखोली गाँव के ग्रामवासियों को उक्त राज्य भूमि उक्त परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत

प्रपत्र-30.4

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

दिनांक 20 / 11 /2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – [illegible] गाँव

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	श्री कैलाश सिंह नेगी	कैलाश सिंह
2	रामलाल (सरपंच)	[illegible]
3	श्री उमेश प्रसाद (उपप्रधान)	उमेश प्रसाद
4	श्री सुदामा लाल	सुदामालाल
5	श्री भजन सिंह	[illegible]
6	श्री त्रिलोक सिंह बडियारी	[illegible]
7	श्री जगत सिंह नेगी	
8		
9		
10		

सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत

48

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

भू – गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0– 11/सड़क/पुल समरेखण/ ऊखीमठ–कैम्प/2015

Geological Assessment of the site proposed for 100 m span bridge over River Mandakini at Chandrapuri Gabnigaon (Basti Haat), in Ukhimath Block, Distt. Rudraprayag.

11–फरवरी–2015

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Geological Assessment of the site proposed for 100 m span bridge over River Mandakini at Chandrapuri Gabnigaon (Basti Haat), in Ukhimath Block, Distt. Rudraprayag.

Vijay Dangwal
11.02.2015

1- Introduction:- The Construction Division, Public Works Department Ukhimath has been entrusted for the construction of 100 m span bridge over River Mandakini at Chandrapuri Gabnigaon (Basti Haat), in Ukhimath Block, Distt. Rudraprayag. In response to the request made by Shri. Manoj Das, Executive Engineer, P.W.D New Ukhimath, I carried out the geological assessment of the proposed site of this bridge on 11.02.2015. Er. Andeep Rana, Astt. Engineer and Er. Ankit Sundariyal, Jr. Engineer, P.W.D. Ukhimath was present during the site visit.

2- Location:- The site proposed for the bridge is located near km 24 of Rudraprayag Gaurikund NH No. 107 located within the boundary of District Rudraprayag.

3- Geological Assessment:- Geologically the site proposed for the bridge lies in a part of Inner Lands of Garhwal Lesser Himalayan Belt. This site falls in the close vicinity of the sole Thrust of Main Central Thrust (MCT) which passes near Kund located in its upstream. The rock masses belonging to Devguru Pherphoroids are exposed in and around the proposed site. These rock masses are thinly foliated, seamy and stratified in nature and have undergone intense weathering upto W_2 grade. The terrain containing this site is characterized by the steeply inclined hill slopes, wide river valley and T_0 & T_1 terraces having considerable width. The bed rocks are exposed on the right bank at this site while on the left bank these are overlained by the thick alluvial material comprised of the boulders, cobbles , gravels and pebbles. At this site river Mandakini flows in N 200 direction with a low gradient and it bears a straight and wide course throughout the visible section. The rock masses exposed on the right bank has been traversed by five prominent joint sets which are linear, smooth and closely spaced to one another. It has been observed that the rocks have undergone intense shearing/ shattering at few places, due to the affect of the MCT. The details of the joint sets recorded at the right bank are given in the following table.

Table

S.No	Feature	Dip angle	Azimuth
1	2	3	4
J_1	(S0 bedding joint) //	30°	N 060
J_2	joint	70°	N020
J_3	joint	15°	N 120
J_4	joint	55°	N 200
J_5	joint	60°	N 310

P.C Attested

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

The bedding/foliation joints exposed on the right bank slope are dipping outward to the slope with the askew relation the river course and these are controlling the stability of the slope face.

The rock mass exposed on the right bank exhibits low values of physical competency as manifested by the manual test made on site. According to the estimation the "Uniaxial Compressive Strength" of the rock mass was found ranging between 20 M Pa to 50 M Pa. The surfaces of the rock defects are partially weathered and the joints do not bear sharp contact to one another. As per the site conditions stripping of 2 to 5 m order shall be required to encounter fresh/hard rock mass. It is advised to make safe excavation for the preparation of foundation ground for right abutment only by manual means only. The use of explosives may lead to the deterioration of the intact properties of the rock mass and its strength.

The ground proposed for the construction of the left abutment and its surrounding area is exposed by the thick cover of unconsolidated river born material which has been generated in the incident of 2013 disaster. This material is comprised of the well graded sub-rounded to rounded rock fragments embedded in sandy-silty matrix. This material is dense, semi-consolidated and highly dispersive in nature. Therefore, for the foundation of left abutment at least 5-7 m deep excavation shall be required to achieve the safe and stable ground.

It has been observed that the entire visible river banks and river bed is characterized by the deposition of debris material generated from catchment which was carried down by the river onwards from June 2013 i.e the Kedarnath Disaster and deposited on the river banks.

No signatures related to the scouring/erosion of the original ground level was encountered in the river channel at the site. The upslopes of the foundation ground bears low to moderate relief and these bear irregular profile, therefore do not threat the stability of the proposed bridge.

By and large the grounds proposed for the construction of the abutments are feasible on the basis of the geological assessment provided the conditions mentioned above are fulfilled/implemented.

4- Seismicity of the area:- According to the Seismic Zonation Map of India the proposed site lies in seismic zone V (IS 1893, part 1, 2002).

On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following suggestions are being made for the construction of the proposed bridge failing to these report will be automatically treated as cancelled.

5- Recommendations:-

1. Place the foundations of the right abutment on fresh/hard and compact rock mass for this 2-5 m stripping shall be made by manual excavation.
2. In order to the site development at right bank uncontrolled blasting by explosives is geologically restricted.
3. Place the foundation of the left abutment at least 5 m below from the ground level.

P-C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-34

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

4. Protect the either bank of the river by constructing suitably designed retaining walls.
5. If any opening or cavity etc are encountered at the foundation level the openings must be grouted properly and the cavities must be backfilled by the concrete of M-20 Grade.
6. The proposed site falls in the geo-dynamically active seismic Belt, therefore, the entire bridge and its appurtenant structures must be designed earthquake resistant.
7. The construction of the bridge and the site development must be carried out as per the BIS codes.
8. The bridge as a whole and it's every appurtenant structures must be designed earthquake resistant.
9. All the construction activity must be carried out as per the standard codes of practice laid by the BIS and MORTH.

6- Conclusion:- On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and with the strict adherence to the recommendations made above, the site was found geologically suitable for the construction of ~~85~~ 100 m span bridge over River Mandakini at Chandrapuri Gabnigaon (Vasti Haat), in Ukhimath Block, Distt. Rudraprayag.

11/02/15

Vijay Dangwal)
Sr. Geologist
Office of the Engineer in Chief,
PWD, Dehradun

T.C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नामः— जनपद-रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii)(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
6- परियोजना के निर्माण हेति आवेदित भूमि का सीमाकंन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के व्यय से संम्बन्धित वनाधिकारी की रेख-देख मे किया जायेगा तथा इस संम्बन्ध बनाय गये मुनारो रख-खाव किया जायेगा
7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नही होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की नि:शुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकरक के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना यावक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष मे जमा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड़ वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ो का पातन नही किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या मे पेड़ो को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ो का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वय के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

55

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह विष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु स्थान गवलीगाँव के ज०वि०र० खसरा संख्या 429 रकवा 1.413 है० म० 0.060 है० सिविल एवं सोयम भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि मे किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल,धार्मिक स्थल स्मारक,मन्दिर,मस्जिद,शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नही है तथा उक्त वनभूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)	ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग
जिला अधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-38

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 हैं0 वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पँहुचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दोरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पँहुचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-39

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग में जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नही करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा । जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारो/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों /परिवारो / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारो की संख्या
1.	हाट	483	~~483~~ 120
2.	बष्टी	1255	315

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-41 पृष्ठ संख्या ( )

परियोजना का नामः— जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.060 है० वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रू० 59.48लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य रू० 3.56 लाख होता है।

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित परियोजना में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण कार्य हेतु प्राक्कलन

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या :– 100

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रेंज – अगस्त्यमुनि रेंज

प्रथम चरण					
क्र0सं0	*कार्य का नाम*	इकाई		इकाई दर (रू0)	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमाकन	0.060	है0	115.000	6.900
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.060	है0	3730.000	223.800
3	ट्री गार्ड क्रय करना	100	सं0	1500.000	150000.000
4	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	100	गढ्ढा	7.950	795.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	100	पौध	6.200	620.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना, वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकता अनुसार गढ्ढे खोदना	0.060	है0	915.000	915.000
7	अन्य कार्य	0.060	है0	450.000	450.000
	योग – प्रथम चरण				**153010.700**
द्वितीय चरण					
1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	100	पौध	1.42	142.00
2	पौधो की कीमत (द्वितीय वर्ष)	100	पौध	1.80	180.00
3	100 बैग पौध का ढुलान वाहन से 25 कि0मी0	100	पौध	9.00	225.00
4	ट्री गार्ड ढुलान करना	100	L.S.	175.000	17500.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	100	L.S.	145.000	14500.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	100	पौध	2.77	277.00
7	खाद व दवा पर व्यय	0.060	है0	1200.00	72.00
8	प्रथम वर्ष में देख –रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
9	8.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशीलपदार्थो को हटाना प्रति है0	0.060	है0	1887.00	1887.00
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	0.060	है0	1100.00	1100.00
11	अन्य कार्य	0.060	है0	450.00	450.00
	योग– द्वितीय चरण				**36826.20**
	योग– प्रथम चरण+द्वितीय चरण				**189836.90**
तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	2.3 वृक्षारोपण से लाभन्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ प्रशिक्षण	0.060		519.00	519.00
3	अन्य कार्य	0.060	है0	450.00	450.00
	योग– तृतीय चरण				**1462.20**
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य	0.060	है0	450.00	450.00
	योग– चतुर्थ चरण				**943.20**

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य	0.060	है0	450.00	450.00
	योग– पंचम चरण				**943.20**
	छठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
	छठवां चरण का योग :–				**943.20**
	सातवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
	सातवां चरण का योग :–				**943.20**
	आठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
	आठवां चरण का योग :–				**943.20**
	नवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
	नवें चरण का योग :–				**943.20**
	दसवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.060	है0	685 प्रतिमाह / प्रति है0	493.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.060	है0	450.00	450.00
	दसवें चरण का योग :–				**943.20**
	कुल योग—				**197901.50**

कुल धनराशि		
	प्रथम चरण	153010.70
	द्वितीय चरण	36826.20
	तृतीय चरण	1462.20
	चतुर्थ चरण	943.20
	पंचम चरण	943.20
	षष्ठम चरण	943.20
	सप्तम चरण	943.20
	अष्टम चरण	943.20
	नवम् चरण	943.20
	दसवें चरण	943.20
	कुल योग	**197901.50**

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019–20 हेतु देय दर = 1210.00 रू0/पौध	**100**	**1210.00**	**121000.00**

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

ग्रा० का नाम - उखीमठ गांव

रा०उ०नि० क्षेत्र:– भट्टवाड़ी सुनार   तहसील:– ऊखीमठ,   जनपद:– रूद्रप्रयाग

खेत की संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)	खाता खतौनी संख्या	खतौनी के भाग 1 में वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 में वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल — खरीफ — फसल	खरीफ — सिं०	खरीफ — असिं०	रबी — फसल	रबी — सिं०	रबी — असिं०	जायद — फसल	जायद — सिं०	जायद — असिं०	फसली क्षेत्रफल दो — सिं०	फसली क्षेत्रफल दो — असिं०	अकृषित भूमि — माप	अकृषित भूमि — क्षे०	खेत के पेड़ों खड़े हुए वृक्षों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
429	1.413	26	उ०प्र० सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	बंजड़	1.413	—	—

नोट:– (1) नकल खसरा असल से तैयार किया गया है।
(2) उक्त खसरा नं० ज०वि०र० खतौनी के श्रेणी 10(4) में दर्ज है।

तहसीलदार
ऊखीमठ

उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रूद्रप्रयाग

रा०उ०नि०
भट्टवाड़ीसुनार

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम :– जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील उखीमठ के अन्तर्गत हाट बष्टी मोटर मार्ग को एन0 एच0 107 से जोडने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

Left Side Abutment is in Forest land and rests on River bed while Right side Abutment is in Naap Land and rests on Slopy Terrain in Rock.

- Muck Received from Foundation for LHS Abutment = 12 (L) x 12 (w) x 6 (d) = 864 cum
- Muck Received from Foundation for RHS Abutment = 1/2 x 12 (L) x 12 (w) x 4 (d) = 288 cum
- Muck Received from Foundation for LHS Approach wall = 2 x 20 (L) x 3 (w) x 4 (d) = 480 cum
- Muck Received from excavation of Protection work on LHS = 2 x 12 (L) x 3 (w) x 3 (d) = 216 cum
- Total Muck Received from Foundations = 864 + 288 + 480 + 216 = 1848 cum
- Total Muck after swelling (Let 20% swell factor for sandy soil) = 1848 x 1.20 = **2218 cum**

- Filling Required in Approach Road LHS = 20 (L) x 6 (w) x 15 (h) = 1800 cum
- Filling inside cellular Abutment LHS (60% of area) = 0.60 x 12 (L) x 12 (w) x 15 (h) = 1296 cum
- Filling inside cellular Abutment RHS (60% of area) = 0.60 x 12 (L) x 12 (w) x 8 (h) = 691 cum
- Total Filling Required = 1800 + 1296 + 691 = **3787 cum**

Since total muck received (2218 cum) is less than total filling required (3787 cum), hence all the muck will be utilized in the project.

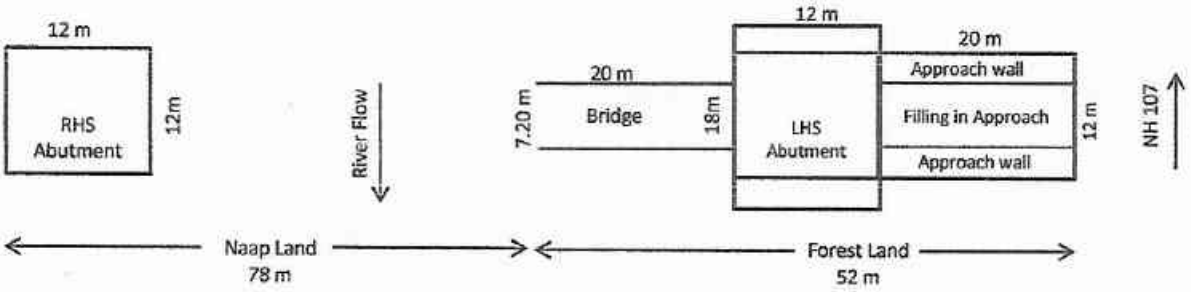

कनिष्ठ अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

सहायक अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नामः– जनपद-रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

N.P.V. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 देयता निम्नानुसार है।

1.ईको – क्लास श्रेणी---------V----------

2.हरियाली का घनत्व ---------10-20---------

3.एन.पी.वी. की दर प्रति है.---------657000=00

4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल **0.060 है०**

5.कुल देय N.P.V की धनराशी---------39420=00

वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः— जनपद-रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र–52

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

क्र0सं0		कार्य का विवरण	सं0			नपत मीटर में				इकाई	दर रू0	धनराशि रू0
						ल0	चौ0	ऊचांई/ग0	मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-1-3-B 1-2	पिलर निर्माण एवं बुनियाद खुदान	1	x	1/2	1.000	0.500	0.700	0.1750	cum	296.00	51.80
2		आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	1	x	1	L.S.						500.00
3	11-7	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण।	1	x	1	1.00	0.50	0.10	0.0500			
			1	x	1	0.30	0.30	1.20	0.1080			
Total									0.1580	cum	8125.89	1283.89
4	5-22A.6	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया क्रय करना	0.158 X 78.50 X 1% = 0.124						0.1240	per qnt	9534.00	1182.50
5	13-1-2	पिलर में 1:4 मसाले में प्लास्टर कार्य।	1	X	4	0.30		1.20	1.4400			
			1	X	1	0.30	0.30		0.0900			
Total									1.5300	sqm	209.22	320.11
6	पिलर पर सफेदी कार्य व पिलर संख्या लिखना		L.S.									1000.00
7	पानी की ढुलाई आदि		L.S.									700.00
											Total :-	5038.30
											एक सीमा पिल्लर पर व्यय रुपये – 5000.00 (पांच हजार, मात्र) या :–	5000.00

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:– जनपद–रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील–ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०–107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, **1980** का उल्लंघन नही हुआ है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग